न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस

अपील संख्या 104/2019

अनवान

1. श्रीमती वन्दना पत्नी श्री रितूराज पाण्डे, आयु–बालिग, निवासी–बिजौलिया, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)

.....अपीलांण्ट

बनाम

1. श्री शम्भूलाल पुत्र श्री भंवरलाल माली, आयु–बालिग, निवासी–पुरोहितखेड़ा तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
2. श्री राधाकिशन पुत्र श्री चतुर्भुज माली, आयु–बालिग, निवासी–केसरगंज, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
3. नारायणी पुत्री श्री चतुर्भुज माली, आयु–बालिग, निवासी–केसरगंज, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
4. जमनी पुत्री श्री चतुर्भुज माली, आयु–बालिग, निवासी–केसरगंज, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
5. मोहनी पुत्री श्री चतुर्भुज माली, आयु–बालिग, निवासी–केसरगंज, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
6. मदन लाल पुत्र श्री चुन्नीलाल माली, आयु–बालिग, निवासी–केसरगंज, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
7. रूकमा पुत्री श्री चुन्नीलाल माली पत्नी रामचन्द्र माली, आयु–बालिग, निवासी – हवाला की बावड़ी रोड, बैगूं, तहसील–बेंगू जिला–चित्तौडगढ (राज०)
8. श्री लालाराम पुत्र श्री कजोड़ माली, आयु–बालिग निवासी बिजौलिया, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

9. श्री गोपाल पुत्र श्री कजोड़ माली, आयु–बालिग, निवासी–बिजौलिया, तहसील–बिजौलिया जिला–भीलवाड़ा (राज०)
10. श्री बिल्लू पुत्री श्री कजोड़ पत्नी श्री कंवरलाल माली, आयु–वयस्क, निवासी–माली मोहल्ला, भैंसरोगढ, तहसील–भैंसोरगढ जिला चित्तौडगढ (राज०)
11. श्री कस्तूरचंद पुत्र श्री कजोड़ माली, आयु–बालिग निवासी–बिजौलिया, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
12. श्री रतनलाल पुत्र श्री कजोड़ माली, आयु–बालिग, निवासी–बिजौलिया, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बिजौलिया, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)

.....रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के
प्रकरण संख्या 17/2015 निर्णय एवं प्रारंभिक डिकी दिनांक 22.2.2017

अभिभाषक :

1. श्री बी एल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री आर सी सारस्वत, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 16.02.2026

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फतहपुरा , पटवार हल्का उमा जी का खेडा, तहसील–बिजौलिया, की सरहद में स्थित आराजी संख्या 26 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 27 रकबा1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें वादी का 9/80 हिस्सा है जिस पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभेग एवं काश्त करता चला आ रहा है तथा हिस्से अनुसार लगान राज्य सरकार में जमा करवाता आ रहा है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अलग–अलग आपसी विभाज से काबिज है। किन्तु विधिवत रूप से मौके पर राजस्व रेकार्ड विधिवत विभाजन नही हुआ है।

2. उक्त आराजियात का मौके पर राजस्व रेकार्ड में विधिवत रूप से विभाजित न होने के कारण फसल बुवाई, फसल कटाई के समय आये दिन हिस्से एवं काश्त को लेकर प्रतिवादीगण विवाद उत्पन्न करते रहते है तथा लगान जमा कराने में भी कठिनाई होती रहती है जिससे वादग्रस्त आराजियात पर वादी का शांतिपूर्वक काश्त करना, उन्नत आबाद करना संभव नहीं हो रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 25.3.2015 को मौके पर काबिज हिस्से अनुसार बंटवाडा करवाने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये। वादी के द्वारा वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई उपचार शेष नहीं रहा है।

3. वादी अपने हिस्से की भूमि को उन्नत एवं आबाद तथा विकसित करना चाहते हैं। इस हेतु शामलाती खाते की भूमि का मौके एवं राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग विभाजन करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

4. वादी को वाद हेतुक दिनांक 25.3.2015 हो प्रतिवादीगण सहमति से बंटवाडा कराने के लिए तैयार नहीं होने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अतः निवेदन है कि विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात में वादी संख्या 1 का 9/80 हिस्से को मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कर राजस्व रेकार्ड में अलग खाता दर्ज किया जावे।

6. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 22.2.2017 पारित की गई । जिससे व्यथित होकर उक्त दोनों ही प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.2.2017 की अपीलाण्ट को समय पर जानकारी नहीं हुई। क्योंकि अपीलाण्ट को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्राप्त नहीं हुए थे। हाल ही मं दिनांक 30.5.2019 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट को उनके कब्जे वाली जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया जिसका अपीलाण्ट ने विरोधउ किया तो रेस्पोडेण्ट ने प्रतिवादी अपीलाण्ट को धमकी दी कि उसने उक्त जमीन का विभाजन करा लिया तथा यह जमीन उनके हिस्से में आ गई है एवं उसने उक्त आराजियात का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन भी करा लिया । इस कारण रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट को बेदखल करके ही रहेंगे। इस परप्रतिवादी अपीलाण्ट ने दिनांक 30.5.2019 को अपने अधिवक्ता से मिलकर प्रकरण की जानकारी व उसी दिन प्रकरण की नकल लेने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तत किया । दिनांक 31.5.2019 को नकलें लेने पर जानकारी में आया कि वादिया रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 22.2.2017 को डिकी कर दिया गया । इस प्रकार अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 22.2.2017 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 30.5.2019 को हुई। इस प्रकार यह अपील जानकारी की दिनांक 30.5.2019 से अन्दर अवधि पेश है। लिहाजा निर्णय एवं डिकी दिनांक 22.2.2017 जानकारी की दिनांक 30.5.2019 के मध्य के समय को समायोजित किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायोचित है।

9. अपीलार्थीगण ने अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर विलम्ब कारित नहीं किया है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है।

10. अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में अपना विवेक कतई काम में नहीं लिया है। मामले में अपीलाधीन निर्णय एव डिकी किसी भी विधिक सिद्धान्त एवं कानून को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है जो विधिसम्मत न होकर खारीज होने योग्य है।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी सम्मन अपीलान्ट पर विधिवत तामील नही हुए तथा अपीलान्ट को जारी सम्मन किस व्यक्ति ने प्राप्त किये जिसका अंकन सम्मन की पुस्त पर नहीं है। सम्मन की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पुस्त पर किसने हस्ताक्षर कर रखे है वह हस्ताकर अपीलाण्ट के नहीं है। उक्त हस्ताक्षर किसके है उसका अंकन भी सम्मन की पुश्त पर नहीं है। उका सम्मन की तामील करते समय मौतबीर व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी तामील कुनिन्दा द्वारा नही कराये गये। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट प्रतिवादी की प्रोपर तामील मानकर उसके विरुद्ध दिनांक 06.10.2016 वर्ष एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित करते हुए प्रकरण में दिनाक 22.02.2017 को प्राथमिक डिकी पारी कर दी सरासर गलत होकर निरस्त होने योग्य है।

13. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट का भी हक एवं हिस्सा निहित है एवं वादग्रस्त आराजियात पर अपीलाण्ट का कब्जा है लेकिन अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के सम्मन प्राप्त नहीं हुए । इस कारण अपीलाण्ट अपनी ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। मामला अचल सम्पति से संबंधित है। जिसमें अपीलाण्ट के हक व अधिकार निहित है। इस कारण मामले में अपीलाण्ट का सुना जाना एवं अपना पक्ष रखने काअवसर प्रदानकिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिकी निरस्त योग्य है।

14. अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 22.2. 2017 को निरस्त किया जावे एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

15. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक दिवस की विलम्ब अवधि का स्पष्ट और युक्तियुक्त कारण अंकित किया जाना आवश्यक होता है। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह पर्याप्त नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

16. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट द्वारा तामील पर की गई आपत्ति सही नहीं है। तामील विधिवत हई है। पक्षकार वंदना के पति ऋतुराज ने तामील ली है। तामील लेने के बाद न्यायायल द्वारा विधिवत आवाज लगाकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अन्य खातदारों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया व सहमति से बंटवाडा करवाया गया । अपीलाण्ट का1/8 वॉं हिस्सा है। अन्य खातेदार अपील में नहीं आये है। उन्हें प्रारंभिक डिकी एवं अंतिम डिकी पर आपत्ति नहीं है। प्रतिवादियों (वन्दना के अलावा) सभी के बंटवाडे पर हस्ताक्षर है। कैम्प में मजमे आम में मौके पर्चे पर हस्ताक्षर हूए । मौके अनुसार पक्षकारो की उपस्थिति में बंटवाडा किया गया है। जो सही व अपील को खारिज की जावे।

17. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता ने रिबटल में निवेदन किया कि तामील पर यह अंकन नहीं है कि तामील किसने ली । इस प्रकार अनियमित तामील को पक्षकार नहीं भुगत सकता। दावे के अन्दर अपीलाण्ट को विधिवत पक्षकार बनाया गया है। खातेदार को पक्षकार बनाया जाता है। खाता विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी ने किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। जो हस्ताक्षर है वह अन्य आदमी है। लोक अदालत में फैसला लिया गया जिसमें हमारी सहमति नहीं थी।

18. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिकी दिनांक 22.2.2017 की अपीलाण्ट को समय पर जानकारी नहीं हुई। क्योंकि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्राप्त नहीं हुए थे। हाल ही मं दिनांक 30.5.2019 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट को उनके कब्जे वाली जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया जिसका अपीलाण्ट ने विरोधउ किया तो रेस्पोडेण्ट ने प्रतिवादी अपीलाण्ट को धमकी दी कि उसने उक्त जमीन का विभाजन करा लिया तथा यह जमीन उनके हिस्से में आ गई है एवं उसने उक्त आराजियात का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन भी करा लिया । इस कारण रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट को बेदखल करके ही रहेंगे। इस परप्रतिवादी अपीलाण्ट ने दिनांक 30.5.2019 को अपने अधिवक्ता से मिलकर प्रकरण की जानकारी व उसी दिन प्रकरण की नकल लेने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तत किया । दिनांक 31.5.2019 को नकलें लेने पर जानकारी में आया कि वादिया रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 22.2.2017 को डिकी कर दिया गया । इस प्रकार अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 22.2.2017 की जानकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

सर्वप्रथम दिनांक 30.5.2019 को हुई। इस प्रकार यह अपील जानकारी की दिनांक 30.5.2019 से अन्दर अवधि पेश है। लिहाजा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.2.2017 जानकारी की दिनांक 30.5.2019 के मध्य के समय को समायोजित किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायोचित है।

19. अपीलार्थीगण ने अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर विलम्ब कारित नहीं किया है। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है।

20. अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

21. प्रत्यर्थी की ओर से रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया गया है । उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

22. पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। आदेश लिखत समय प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनाश पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी पी सी में पेश करना चाहते है। इस बाबत न्यायालय द्वारा अवगत करवाया गया है कि प्रकरण में दिनांक 9.2.2026 को दोनों पक्षों की अंतिम बहस हो चुकी है। इस स्तर पर प्रार्थना पत्र नहीं लिया जा सकता है। अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि तामील के हस्ताक्षर से संबंधित दस्तावेज है। यदिवह निर्णय विश्लेषण में सहायक हो तो उस हद तक रिकार्ड पर रख लिया जावे।

23. नियमों के तहत बहस के उपरान्त इस प्रकार के दस्तावेज शामिल नहीं किया जा सकता है। बहस से पूर्व पत्रावली दिनांक 4.6.2019 से विचाराधीन है । अब तक 49 बार पत्रावली में तारीख पेशी लगी है। बहस से पूर्व सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करके ही बहस दोनों की सहमति से सुनी गई है। इस प्रकार आदेश के लिए इस प्रकार प्रार्थना पत्र लाना निर्णिय प्रकिया को रोकने के समान है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र को रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

24. रेकार्ड का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन, अध्यन व मिलान किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन, अध्ययनव मिलान किया गया । निर्णय का मिलान किया गया । रेकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 26 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा , आराजी नम्बर 27 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा के खातेदार है। और जमाबंदी मे प्रत्येक खातेदार का हिस्सा अंकित है। जिसमें वादी/रेस्पोडेण्ट का 9/80 हिस्सा निहित है। प्रारंभिक डिकी जारी करने से पूर्व पक्षकारों को विधिवत तामील हुई है। उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 12 अनुपस्थित रहे है। न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्राथमिक डिकी इस आशय की जाती की है कि वादी के हिस्से 9/80 का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करने का आदेश दिया गया है। वाद पत्र द्वारा यही अनुतोष मांगा गया है। अनुतोष के अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन का आदेश विधिवत है। इसमें वादी व प्रतिवादी दोनों को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। प्राथमिक डिकी का आदेश विधिवत होनेसे प्रारंभिक डिकी में हस्ताक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

25. आदेश

26. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रारंभिक डिकी दिनांक 22.2.2017 को यथावत रखा जाता है । उपरोक्तानुसार डिकी पर्चा मूर्तिब किया जावे।

27. आदेश आज दिनांक 16.2.2026 को खुले न्यायालय में सुनायागया।

(पी आर मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस

अपील संख्या 104/2019

अनवान

1. श्रीमती वन्दना पत्नी श्री रितूराज पाण्डे, आयु–बालिग, निवासी–बिजौलिया, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)

.....अपीलांण्ट

बनाम

1. श्री शम्भूलाल पुत्र श्री भंवरलाल माली, आयु–बालिग, निवासी–पुरोहितखेड़ा तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
2. श्री राधाकिशन पुत्र श्री चतुर्भुज माली, आयु–बालिग, निवासी–केसरगंज, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
3. नारायणी पुत्री श्री चतुर्भुज माली, आयु–बालिग, निवासी–केसरगंज, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
4. जमनी पुत्री श्री चतुर्भुज माली, आयु–बालिग, निवासी–केसरगंज, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
5. मोहनी पुत्री श्री चतुर्भुज माली, आयु–बालिग, निवासी–केसरगंज, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
6. मदन लाल पुत्र श्री चुन्नीलाल माली, आयु–बालिग, निवासी–केसरगंज, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
7. रूकमा पुत्री श्री चुन्नीलाल माली पत्नी रामचन्द्र माली, आयु–बालिग, निवासी – हवाला की बावड़ी रोड, बैगूं, तहसील–बेंगू जिला–चित्तौडगढ (राज०)
8. श्री लालाराम पुत्र श्री कजोड़ माली, आयु–बालिग निवासी बिजौलिया, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

9. श्री गोपाल पुत्र श्री कजोड़ माली, आयु–बालिग, निवासी–बिजौलिया, तहसील–बिजौलिया जिला–भीलवाड़ा (राज०)
10. श्री बिल्लू पुत्री श्री कजोड़ पत्नी श्री कंवरलाल माली, आयु–वयस्क, निवासी–माली मोहल्ला, भैंसरोगढ, तहसील–भैंसोरगढ जिला चित्तौडगढ (राज०)
11. श्री कस्तूरचंद पुत्र श्री कजोड़ माली, आयु–बालिग निवासी–बिजौलिया, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
12. श्री रतनलाल पुत्र श्री कजोड़ माली, आयु–बालिग, निवासी–बिजौलिया, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बिजौलिया, तहसील–बिजौलिया, जिला–भीलवाड़ा (राज०)

.....रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के
प्रकरण संख्या 17/2015 निर्णय एवं प्रारंभिक डिकी दिनांक 22.2.2017

अभिभाषक :

1. श्री बी एल गुर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री आर सी सारस्वत, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

अपील में डिकी
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/104/2019 मे उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्की जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 16.2.2026 को अपीलाण्ट की ओर से श्री बी एल गुर्जर वकील प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से आर सी सारस्वत एवं राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति मे दिनांक 16.2.2026 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रांरभिक डिकी दिनांक 22.2.2017 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आज दिनांक 16.2.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

## अपील के खर्चे

| अपीलाण्ट | रेस्पोडेण्ट |
|---|---|
| 1. अपील के लिये ज्ञापन | 1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प |
| 2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | 2. अर्जी के लिये स्टाम्प |
| 3. आदेशिकाओं की तामील | 3. आदेशिकाओं की तामील |
| 4. प्लीडर की फीस | 4. प्लीडर की फीस |